मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 254 / 2025

गंगा सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. भोला सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–10/11/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 8 एन.एस.डब्ल्यू. के खाता सं. 108 के प.नं. 32/339, 33/337 की कुल 11.421 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 3280/11421 हिस्सा मे से 3.036 हैक. का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे रिथति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा